



दिल्ली सीमा पर आंदोलनरत किसानों ने बुधवार को लोहड़ी मनाई और लोहड़ी के अलाव में विवादास्पद कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। फसल कटाई के इस पर्व की उत्तर भारत में भारी धूम होती है, खासकर पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली में। किसानों ने अपने घर-परिवार से दूर लोहड़ी पर्व मनाया और कहा कि यह सब वे अपने परिवार के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार जिद पर अड़ी रही तो वे आगामी फसल नहीं बोने का निर्णय भी कर सकते हैं।

## पोल्ट्री प्रतिबंध

**-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 13 जनवरी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने बुधवार को कहा कि बर्ड फ्लू जम्मू-कश्मीर के गंदरबल जिले तथा झारखंड के चार जिलों तक पहुंच गया है तथा इसके

केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाएं।

अलावा, 10 राज्यों में इसके फैलने की पुष्टि सोमवार को ही हो गई थी। विभाग ने राज्यों को यह भी सलाह दी कि वे अन्य राज्यों से आने वाले मुर्गी (कुक्कुट) तथा अण्डे की सप्लाई पर रोक नहीं लगायें तथा अगर रोक लगा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## कोरोना वैक्सीन की 5.50 लाख डोज़ प्रदेश पहुंचीं

**-कार्यालय संवादादाता-**  
जयपुर, 13 जनवरी। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड-19

हैदराबाद से सुबह 11 बजे भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन और शाम को पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचीं। इसके अलावा उदयपुर में भी एक लाख के लगभग डोज़ पहुंची हैं।

वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सिन और कोविशील्ड वैक्सीन बुधवार को एयर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जहरीली शराब

रूपबास, भरतपुर, 13 जनवरी (निस)। भरतपुर जिले में रूपबास थाना क्षेत्र के उत्तर प्रदेश से सटे चक सामरी गांव में बीतीरात जहरीली शराब पीने से सरपंच के भाई सहित 4 जनों की मौत हो गई। शराब सेवन के बाद तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराए गए

रूपबास के गांव चकसामरी में जहरीली शराब पीने से 4 ग्रामीणों की मौत हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी।

कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की भी खबरें हैं। मृतकों में प्रीतम सिंह पुत्र धर्म सिंह, मांगीलाल पुत्र चन्दन सिंह कम्पौटर व रणजित शामिल हैं। इनमें प्रीतम नोहरदा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## विवादित कृषि कानून जलाकर आंदोलनकारी किसानों ने लोहड़ी मनाई

**-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 13 जनवरी। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों ने बुधवार को तीन विवादित कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई

त्यौहार उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं जम्मू-कश्मीर में बहुत उल्लास से मनाया जाता है। परन्तु फसल कटाई के मौसम की शुरूआत का यह त्यौहार इस बार इन किसानों ने उदासपूर्ण माहौल में गौर परिवार के मनाया।

जो किसान पंजाब से आए थे वे अपने साथ नई फसल की सिकी धुनी हुई मकई ले कर आए थे जिसे उन्होंने किसानों में वितरित किया जबकि किसानों ने ठंड के दिनों को अलविदा कहने के लिए विभिन्न आंदोलन स्थलों पर अलाव जलाया तथा उन्होंने उन लोगों के बीच खीर, गुड़ व जवनरी के गन्ने की फसल से बनी गजक व मूंगफली खाकर लोहड़ी का त्यौहार मनाया।

लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है जो कि फसलों का त्यौहार है जिसे सम्पूर्ण भारत भिन्न-भिन्न नामों से मनाया जाता है मकर संक्रांति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल में इसी नाम से मनाया जाता है तमिलनाडू में पोंगल

त्योंहार पर परिवार से दूर रहने की उदासी तो थी पर किसानों ने कहा कि वे यह सब परिवार के भविष्य के लिये कर रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि उत्तर भारत में लोहड़ी फसल कटाई का पर्व है। किसानों ने यह भी कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो वे अगली फसल की बुवाई नहीं करेंगे।

एवं असम में बिहु के नाम से मनाया जाता है।

सिंधु बाँदर के किसानों ने कहा कि इस बार वे परिवार के साथ इस उत्सव को नहीं बना पाए परन्तु वे दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे क्योंकि उनका यह कार्य परिवार के भविष्य के लिए किया जा रहा है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि यदि सरकार अपनी बात पर अड़ी रहती है तो वे आगामी जून में नई फसल नहीं बोने का खतरनाक निर्णय भी कर सकते हैं।

## सेना में व्यभिचार

**-जाल खंबाता -  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -**  
नई दिल्ली, 13 जनवरी। केन्द्र बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा कि उसके 2018 निर्णय जिसमें व्याभिचार को अपराध नहीं माना गया है इसे सशस्त्र सेनाओं में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें इस कृत्य को 'अनुचित आचरण' का कृत्य माना गया

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि सन् 2018 में व्याभिचार को गैर अपराध करार दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सेना को अलग रखा जाए।

है और इस आधार पर कोर्ट मार्शल किया जाता है।

केन्द्र ने अपनी याचिका में कहा है कि सशस्त्र सेना के सैनिकों के द्वारा अपने साथी कर्मों की पत्नी के साथ व्याभिचार करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि यह 'अनुचित आचरण' है और सशस्त्र बलों में अनुशासन के लिए इसे रखा जाना चाहिए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## प्रदेश भाजपा में डॉ. सतीश पूनिया को मिला फ्री हैंड

जयपुर, 13 जनवरी (का.सं.)। राज्य में पिछले दिनों सम्पन्न हुए 50 नगर निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशानुकूल सफलता नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए वसुंधरा राजे खेमे से माने जाने वाले कई नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व की शिकायत की है।

वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव में भाजपा को मिली सफलता को देखते हुए इस माह की 28 तारीख को होने वाले 90 नगरनिकाय चुनाव, उसके बाद तीनों जगह पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों के साथ ही 12 जिलों में होने वाले पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव प्रबंधन के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया को फ्री हैंड दे दिया है।

भाजपा सुत्रों का कहना है कि भाजपा के वर्तमान प्रदेश नेतृत्व की शिकायत करने वाले नेताओं में जयपुर के दो मौजूदा विधायक, एक पूर्व विधायक और दो राज्यसभा सांसद शामिल हैं। सुत्रों की माने तो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निकाय चुनाव में टिकट बंटवारा

लेकिन वसुंधरा खेमे ने नाराजगी जताई कि पूनिया के नेतृत्व में भाजपा को निकाय चुनाव में सफलता नहीं मिली है

वसुंधरा खेमे ने इस संबंध में केन्द्रीय नेतृत्व से शिकायत की। लेकिन भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने 28 जनवरी को होने वाले 90 नगर निकाय चुनावों की पूरी जिम्मेवारी डॉ. पूनिया को सौंपी।

सही नहीं किए जाने और कड़ाघर नेताओं को मैदान में नहीं उतारे जाने की शिकायत की गई है। भाजपा के दिल्ली सुत्रों का दावा है कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी, पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने केन्द्रीय नेतृत्व से राज्य नेतृत्व, खासतौर से अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए टिकट बंटवारे समेत कई तरह की शिकायतें की हैं। इन सभी नेताओं को वसुंधरा राजे खेमे से माना जाता है। शिकायत करने वालों की लिस्ट में कुछ भाजपा कार्यकर्ता केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का नाम भी ले रहे हैं, जिनका

बेटा भाजपा टिकट मिलने के बावजूद पिछले दिनों चुनाव हार गया था। इधर, जानकारी में आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली पहुंच गई हैं, वह अगले कुछ दिन दिल्ली में ही रहने वाली हैं। इस दौरान उनका जेपी नड्डा से मिलने का भी कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले ही भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर दिल्ली गए थे। बताया जाता है कि भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने इन चारों नेताओं से वसुंधरा खेमे के नेताओं द्वारा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## एलन के 3 छात्र ऑक्सफोर्ड में

कोटा, 13 जनवरी (निस)। देश में जेईई और नीट के रिजल्ट्स में इतिहास रचने के बाद अब एलन कैरियर इंस्टीट्यूट अंतरराष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के आयाम स्थापित कर रहा है। दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में एलन

दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यू.के. में एलन ग्लोबल स्टडीज डिविजन के तीन छात्र तेजस मित्तल, ओजस मित्तल और अश्वत जैन का चयन हुआ है।

ग्लोबल स्टडीज डिविजन (एजीएसडी) के 3 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। एलन के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि संस्था के छात्र तेजस मित्तल, ओजस मित्तल और अश्वत जैन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## 'केन्द्र सरकार ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया'

कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में दायर केन्द्र सरकार के शपथ पत्र को भ्रामक और झूठा करार दिया

**-जाल खंबाता -  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -**  
नई दिल्ली, 13 जनवरी। कांग्रेस ने बुधवार को मोदी सरकार पर जबर्दस्त प्रहार करते हुये कहा कि उसने अपने सोमवार के हलफनामे में सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया था। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि इन तीनों कृषि कानूनों को लाने से पहले, पर्याप्त मंत्रणा की गई थी।

पार्टी प्रवक्ता तथा वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि यह अदालत एवं राष्ट्र को "बहकाने, छल-कपट करने, मिथ्या एवं अव्यथार्थ

सूचना देने" का प्रयास था। सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा था कि यह शपथ पत्र "आंदोलनकारियों द्वारा फैलाये गये इस भ्रामक विचार का पर्दाफाश करने के प्रयोजन से पेश किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार एवं संसद ने संदर्भित कानूनों को पारित करने से पहले, न तो कोई परामर्श-प्रक्रिया अपनाई थी और किसी कमेटी द्वारा इन मुद्दों का परीक्षण ही कराया था।"

सरकार ने विधायिका में विचार-विमर्श होने से पहले के उदाहरण देते हुये कहा कि कानून बनाये जाने से पहले, वर्ष 2000 में "गुरु कमेटी" गठित की गई थी तथा अन्य प्रक्रियाओं के अलावा, सरकार ने 2003 तथा

सिंघवी ने कहा कि केन्द्र सरकार का यह दावा गलत है कि कृषि कानून बनाने से पहले वृहद स्तर पर चर्चा की गई थी।

सिंघवी ने कहा कि सन् 2020 में बनाए गए कानून के लिए 2003 और 2017 के मॉडल एक्ट का हवाला दिया गया है, जो बताता है कि इन कृषि कानूनों के निर्माण से पूर्व कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था।

2020 में ला रहे हैं, उसके लिये आप 2003 तथा 2017 के मॉडल अधिनियमों को प्राथमिकता दे रहे हैं।" उन्होंने जोर देते हुये कहा कि यह इस बात का खुला एवं स्पष्टीकरण है कि पिछले साल जून में संबंधित अध्यादेश जारी करने तथा सितम्बर में संसद में विधेयक पेश करने से पहले 2019 या 2020 में किसी प्रकार का कोई विचार-विमर्श या परामर्श नहीं किया गया।

सिंघवी ने कहा कि ये कानून संसद के गले बांध दिए गए। उन्होंने कहा, "सरकार सदैव ही झूठ बोलकर भारत की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करती आई है। दुर्भाग्य की बात यह है

कि इस बार सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं बखलाया।"

सिंघवी ने कहा कि मॉडल अधिनियम राज्यों के पास पालनार्थ भेजे गये थे क्योंकि सरकार अखिल भारतीय अधिनियम पारित करने की विधायी क्षमता के चोर अभाव से अच्छी तरह परिचित थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, "मॉडल अधिनियमों की विषय वस्तु भी उन तीनों कानूनों से अलग थी, जिन्हें चर्चा के बिना पारित कर दिया गया। मॉडल कानूनों का रज्यो के पास भेजा जाना भी यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार इन कानूनों को पारित कराने में अपनी क्षमता से परे चली गई थी।"